महत्वपूर्ण एवं खास

जशपुर जिले में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के कई प्रकरण दर्ज

संलिप्त लोगों पर की गई कार्रवाई

रायपुर। कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देशानुसार जिले में खनिज रेत, मिट्टी एवं मुरूम के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार सघन निगरानी एवं जांच अभियान चलाया जा रहा है। खनिज अधिकारी के मार्गदर्शन में खनिज अमले द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में की गई जांच के दौरान अवैध खनिज गतिविधियों में संलिप्त पाए गए वाहनों एवं व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई है। जनवरी 2025 से मई 2025 तक जिले में खनिज मिट्टी के अवैध उत्खनन कर ईंट निर्माण करने के कुल 07 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें फरसाबहार क्षेत्र के 02, लोदाम क्षेत्र के 02 तथा जशपुर क्षेत्र के 03 प्रकरण शामिल हैं। वहीं अवैध रेत भण्डारण के 01 प्रकरण को कांसाबेल क्षेत्र में चिन्हित किया गया। इसी अवधि में अवैध रेत परिवहन के 07 प्रकरणों में कार्यवाही की गई, जिनमें दुलदुला क्षेत्र में 03, जशपुर में 02, कांसाबेल एवं फरसाबहार क्षेत्रों में 01-01 प्रकरण शामिल हैं। जिला प्रशासन ने जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के मामलों में जांच-पड़ताल का अभियान लगातार संचालित करने तथा इसमें संलिप्त लोगों के विरूद्ध कार्रवाई की बात कही है।

कृषकों के बचत खाता से करोड़ों की हेरा-फेरी, 2 आरोपी गिरफ्तार

भिलाई (आरएनएस)। रविवार को थाना पुरानी भिलाई में सेवा सहकारी समिति ग्राम सोमनी के खिलाफ एक बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपियों ने कृषकों के बचत खातों से करीब 1.03 करोड़ रुपए की हेरा-फेरी की। यह धोखाधड़ी प्रबंधक नीति दीवान, सहायक प्रबंधक गजानंद शिर्के और अतिरिक्त कर्मचारी गोपाल वर्मा के द्वारा की गई थी। आरोपियों ने कृषकों के खातों में राशि जमा न करके, खुद ही उस पैसे का उपयोग किया। इस संबंध में थाना पुरानी भिलाई में अपराध दर्ज कर लिया गया था। जांच में यह सामने आया कि आरोपियों ने कृषकों की पासबुक में रकम की एंट्री तो की, लेकिन बैंक के लेजर में इन राशियों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसके अलावा, आरोपियों ने कुछ कृषकों के फिक्स डिपॉजिट को भी तोडक़र उन पैसों का गबन किया। पुलिस ने आरोपियों गजानंद शिर्के और गोपाल वर्मा को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पूछताछ में अपराध स्वीकार किया। उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

आग लगने से लकवाग्रस्त बुजुर्ग की दर्दनाक मौत

दुर्ग (आरएनएस)। उतई थाना क्षेत्र में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। यहाँ एक घर में अचानक आग लगने से बिस्तर पर लाचार 65 वर्षीय बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी घर को अपनी चपेट में ले लिया।

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बनेगा राज्य का पहला एक्वा पार्क

रायपुर

हसदेव-बांगो जलाशय के डूबान क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एक्वा पार्क विकसित किया जा रहा है, जो राज्य में मछली पालन, प्रसंस्करण एवं पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन करेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए 37 करोड़ 10 लाख 69 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है। यह एक्वा पार्क कोरबा जिले के एतमानगर और सतरेंगा क्षेत्र में विकसित किया जाएगा।

एतमानगर में स्थापित किए जाने वाले एक्वा पार्क में फीड मिल, फिश प्रोसेसिंग प्लांट, हेचरी एवं रिसर्कुलेटरी एक्वा कल्चर सिस्टम की स्थापना की जाएगी। इसके माध्यम से मछलियों के उत्पादन से लेकर उनकी प्रोसेसिंग एवं निर्यात तक की समग्र व्यवस्था होगी। फिश प्रोसेसिंग प्लांट में मछलियों की सफाई, बोन हटाकर फिले तैयार करना और उच्च गुणवत्ता पैकिंग कर निर्यात की सुविधा होगी। हेचरी के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले मत्स्य बीज का उत्पादन किया जाएगा। सतरेंगा में एक्वा पार्क का विस्तार कर एक्वा म्यूजियम, एंगलिंग डेस्क, कैफेटेरिया, फ्लोटिंग हाउस तथा मोटर बोट जैसी पर्यटन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यह स्थल मछली पालन की जानकारी, मनोरंजन और ताजे जल की मछलियों के स्वाद का समागम स्थल बनेगा।

गौरतलब है कि हसदेव जलाशय के सरभोंका स्थित निमउकछार क्षेत्र में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तथा जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) के सहयोग से लगभग 800 नग केज की स्थापना की गई है। इन केजों के माध्यम से मछली पालन हेतु 9 पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों के 160 सदस्यों का चयन किया गया, जिन्हें 5-5 केज आवंटित किए गए हैं।

केज कल्चर के माध्यम से ग्रामीणों को औसतन 88 हजार रुपये वार्षिक आमदनी प्राप्त हो रही है। मछुआरा समिति के सदस्यों दीपक राम मांझीवार, अमर सिंह मांझीवार एवं महिला सदस्य देवमति उइके ने बताया कि इस तकनीक ने उन्हें न केवल रोजगार दिया है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। मत्स्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 1600 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हो रहा है, जिससे प्रतिदिन 70-80 लोगों को प्रत्यक्ष एवं 15-20 चिल्लहर विक्रेताओं को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है।

हसदेव जलाशय क्षेत्र में तिलापिया एवं पंगास (बासा) प्रजाति की मछलियों का उत्पादन किया जा रहा है। तिलापिया मछली कम लागत में पाली जा सकती है, यह पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत होने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अत्यंत लोकप्रिय है। इसकी खपत अमेरिका जैसे देशों में भी हो रही है। यह मछली रोग प्रतिरोधक होती है तथा 6-8 माह में बाजार योग्य आकार में विकसित हो जाती है। वहीं पंगास मछली में कांटा कम होता है, जिससे यह उपभोक्ताओं के बीच अधिक लोकप्रिय है।

हसदेव-बांगो जलाशय क्षेत्र में विकसित हो रहा एक्वा पार्क राज्य में मछली पालन, स्वरोजगार एवं पर्यटन को एक नई पहचान देगा। यह पहल न केवल क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति देगी, बल्कि ग्रामीणों के लिए सम्मानजनक और टिकाऊ आजीविका के नए द्वार भी खोलेगी।

ऑपरेशन केजीएच का बड़ा असर... तेलंगाना में 20 नक्सली गिरफ्तार, 8 ने किया आत्मसमर्पण, 0 भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार भी हुआ बरामद

जगदलपुर | आरएनएस

बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में सीआरपीएफ की अगुवाई में चलाए गए ऑपरेशन केजीएच का बड़ा असर बीजापुर जिले से सटे पड़ोसी राज्य तेलंगाना में भी देखने को मिल रहा है। इस ऑपरेशन ने नक्सलियों के बीच ?सी खलबली मचा दी है कि वे अब भागे भागे फिर रहे हैं। इसी फेर में बीस नक्सली तेलंगाना पुलिस के हत्थे चढ़ गए। वहीं आठ नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। गिरफ्त में आए नक्सलियों से भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं। तेलंगाना पुलिस ने नक्सलियों के बड़े शहरी नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में तेलंगाना की सीमा से सटी कर्रेगुट्टा पहाड़ी जो केजीएच यानि कर्रेगुट्टालु हिल के नाम से भी जानी जाती है। केजीएच छत्तीसगढ़, तेलंगाना और सीमावर्ती आंध्रप्रदेश के बड़े नक्सली लीडर्स की शरण स्थली रही है। इस पहाड़ी पर सीआरपीएफ, एसटीएफ और डीआरजी द्वारा लगातार 21 दिनों तक चलाए गए ऑपरेशन में 31 नक्सली मारे गए और नक्सलियों के दर्जनों बंकर, गुफाएं, हथियार फैक्ट्री, हथियार भंडार, छुपने के ठिकाने आदि तबाह कर दिए गए। पहाड़ी से दो टन बारूद, 12 टन अनाज, हठगोले आदि बरामद किए गए थे। देश में यह सबसे बड़ा सफल एंटी नक्सल ऑपरेशन साबित हुआ। इस ऑपरेशन नक्सली लीडर्स में खलबली मच गई है। कई बड़े नक्सली पड़ोसी राज्यों में जा छुपे हैं। तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले में पुलिस ने 20 नक्सलियों की गिरफ्तारी ऑपरेशन केजीएच का ही सुफल है। इन नक्सलियों के पास ने दर्जनों घातक हथियार बरामद किए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि मूलगू जिले के एसपी के नेतृत्व में सर्चिंग अभियान पर निकले सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी मिली है। मूलगु जिले के वाजेडु, वेंकटापुरम और कन्नईगुड़म क्षेत्रों से 20 नक्सली गिरफ्तार किए गए। इन नक्सलियों में एक डिवीजनल कमांडर, 5 एरिया कमांडर और 14 पार्टी सदस्य शामिल हैं। गिरफ्तार नक्सलियों से 3 इंसास रायफललें, 4 एसएलआर, एक लोकल राइफल, विस्फोटक, वाकीटॉकी व बड़ी मात्रा में नगदी रकम बरामद की गई है। इसके अलावा तेलंगाना पुलिस के समक्ष आठ नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। इन आत्मसमर्पित नक्सलियों को पुनर्वास योजना का लाभ दिया जाएगा। तेलंगाना पुलिस का दावा है कि यह नक्सलियों के शहरी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार? है। सूत्रों ने बताया कि कर्रेगुट्टा आपरेशन के बाद से क्षेत्र के नक्सलियों पर दबाव बढऩे से वे तेलंगाना जाकर गिरफ्तार हो रहे और आत्मसमर्पण कर रहे हैं।

रेड़ा और बेलटिकरी में 19 मई को होगा समाधान शिविर

सारंगढ़ बिलाईगढ़

सुशासन तिहार के तृतीय चरण में 19 मई को सारंगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत रेड़ा और बिलाईगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत बेलटिकरी में समाधान शिविर होगा। समाधान शिविर प्रातः 10 बजे से शाम 3 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। समाधान शिविर में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। हितग्राही मूलक योजनाओं के आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। समाधान शिविर में विकासखंड, अनुभाग एवं जिला स्तर के अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

रेड़ा के शिविर में आने वाले गांव- इस शिविर में ग्राम पंचायत रेड़ा, जिल्दी, हरदी, कोतरी, उधरा, पचपेड़ी, बासीनबहरा, अमेठी, मुड़ियाडीह, सुवाताल, ख़ुडुभांठा, चवरपुर, भंवरपुर, रापांगुला, दुर्गापाली, गोडीहारी और उनके आश्रित गांव के साथ जिले का नागरिक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

बेलटिकरी के शिविर में आने वाले गांव- इसमें ग्राम पंचायत बेलटिकरी, धाराशिव, डोकरीडीह, डुरुमगढ़, चुरेला, गोविंदवन, छपोरा, बिशनपुर दुमुहानी, गोरबा, बेल्हा, पचरी, परसाडीह, नगरदा, कैथा, मिरचिद, मुड़पार (द), सोनियाडीह और उनके आश्रित गांव के साथ जिले का नागरिक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

यातायात विभाग की बड़ी कार्यवाई, बसों-ट्रकों से हटाई गईं तेज रोशनी वाले एलईडी लाइट्स

रायपुर । रात्रिकाल में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती आकड़ों को देखते हुए यातायात विभाग सुकमा ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कलेक्टर देवेश कुमार धुरव के निर्देशन और मार्गदर्शन में जिला परिवहन अधिकारी एसबी रावटे के नेतृत्व में बसों, ट्रकों और पिकअप वाहनों में लगी तेज रोशनी वाली एलईडी लाइट्स को हटाने की मुहिम शुरू की गई है। उक्त कार्रवाई में वाहनों में अनियमितता पाए जाने पर जुर्माना भी लगाया गया, जिनमें कुल मिलाकर पांच हजार रूपए का चालान किया गया। साथ ही दोपहिया और चौपहिया वाहन चालकों को समझाईश भी दी गई। वाहन चालकों को चेतावनी दी गई कि भविष्य में ऐसी लाइट्स का उपयोग करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही यात्री वाहनों का मासिक रोड टैक्स बीस हज़ार रुपये शासन के खाते में जमा किया गया।

यातायात विभाग द्वारा की गई यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चौपहिया वाहनों में सीट बेल्ट का उपयोग करना और दोपहिया वाहनों में हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। तेज रोशनी वाली एलईडी लाइट्स से होने वाली दुर्घटनाओं और परेशानियों को कम करने के लिए यह पहल न केवल स्थानीय स्तर पर, बल्कि पूरे राज्य और देश के लिए एक मिसाल बन सकती है। यदि इस तरह के प्रयास निरंतर जारी रहे, तो निश्चित रूप से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और यात्रा सुरक्षित व सुगम होगी। अधिकारियों ने आम जनता और वाहन चालकों से अपील है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और सड़क को सुरक्षित बनाने में अपना योगदान दें।

उद्योग मंत्री ने दी 01 करोड़ 20 लाख रू. के विकास कार्यो की सौगात

- 55 लाख रू. से संवारा गया कटहल गार्डन जनसेवा में किया समर्पित, 03 वार्डों में 65 लाख रू. के नए विकास कार्यों का किया शुभारंभ

रायपुर

उद्योग, वाणिज्य व श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने आज नगर पालिक निगम कोरबा के कोसाबाड़ी जोनांतर्गत 01 करोड़ 20 लाख रूपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यो की सौगात प्रदान की। उन्होने जहॉ एक ओर 55 लाख रूपये की लागत से संवारे गए कटहल गार्डन का लोकार्पण करते हुए उसे जनसेवा में समर्पित किया, वहीं दूसरी ओर जोन के 03 वार्डो को 65 लाख रूपये के विभिन्न विकास कार्यो का भूमिपूजन कर कार्यो का शुभारंभ कराया। इस मौके पर महापौर संजूदेवी राजपूत, सभापति नूतन सिंह ठाकुर के साथ निगम के पार्षदगणों व जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा कोसाबाड़ी जोनांतर्गत वार्ड क्र. 25 के अंतर्गत स्थित कटहल गार्डन का मेन रोड तक 55 लाख रूपये की लागत से सौंदर्यीकरण व विकास का कार्य कराया गया है, जिसका लोकार्पण आज उद्योग मंत्री देवांगन के करकमलों से सम्पन्न किया गया, उन्होने लोकार्पण पट्टिका का अनावरण किया तथा गार्डन को आमजनता की सेवा में समर्पित किया। इसी प्रकार निगम द्वारा 21 लाख रूपये की लागत से वार्ड क्र. 25 स्थित कटहल गार्डन एम.पी. नगर कोरबा का मेन रोड तक एण्ड-टू-एण्ड पेविंग कार्य कराया जाना हैं, वहीं वार्ड क्र. 31 कोसाबाड़ी जोन अंतर्गत निर्मला स्कूल के पास 19 लाख 65 हजार रूपये की लागत से वेडिंग जोन का निर्माण किए जाने के साथ ही वार्ड क्र. 32 पोड़ीबहार में चन्द्रा समाज के भवन के पास नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा निर्मित सामुदायिक भवन के ऊपर 25 लाख रूपये की लागत से हाल का निर्माण कराया जाना हैं, आज इन सभी विकास कार्यो का भूमिपूजन उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के द्वारा किया गया, उन्होने विधिवत पूजा अर्चना की, शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया तथा कार्यो का शुभारंभ किया.

इस अवसर पर दिए गए अपने उद्बोधन में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि नगर पालिक निगम कोरबा व कोरबा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न मदों के तहत व्यापक पैमाने पर विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

रजिस्ट्री कानून में बदलाव पर सारंगढ़ में किया गया कार्यशाला सह प्रशिक्षण

- रजिस्ट्री में अब दी जा रही 10 नई सुविधा

सारंगढ़ बिलाईगढ़

उप पंजीयक सारंगढ़ के तत्वाधान में, रजिस्ट्री कानून के सुविधाजनक 10 नए बदलाव को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन सारंगढ़ के जिला पंचायत सभाकक्ष में किया जाएगा। इस अवसर पर सोनी अजय बंजारे, जिला पंचायत के अध्यक्ष संजय भूषण पांडेय उपाध्यक्ष अजय नायक सहित सभी सदस्य, ज्योति पटेल, जगन्नाथ केसरवानी, कैलाश नायक, जनप्रतिनिधि, बिल्डर, नोटरीगण, अधिवक्तागण, पत्रकारगण, सीईओ जिला पंचायत इंद्रजीत बर्मन सहित जिले के उपस्थित थे। सभा की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। सभा में उप पंजीयक ने रजिस्ट्री के संशोधन की जानकारी दी। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने सभा को संबोधित किया।

इस अवसर पर कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने कहा कि हम लोग रजिस्ट्री करने के लिए दो गवाह को ले जाते हैं और दो गवाह होने के बावजूद भी फर्जी रजिस्ट्री हो जाता है। अब उनका आधार कार्ड भी लेकर जाते हैं और स्वतः नामांतरण हो जाता है। पहले रजिस्ट्री करते थे, फिर नामांतरण के लिए इश्तहार प्रकाशन करते थे फिर कोई दावा आपत्ति नहीं करता था तो नामांतरण होता था। नामांतरण होने के बाद पटवारी का चक्कर लगाते थे। इसमें 3 महीने का टाइम लग जाता था। यदि कोई रजिस्ट्री फर्जी होता है तो उस रजिस्ट्री को निरस्त करने का अधिकार महानिरीक्षक पंजीयक को दिया गया है। पहले फर्जी रजिस्ट्री पर याचिका सिविल कोर्ट में करते थे। सिविल कोर्ट में आदेश आते तक 5 साल 10 साल गुजर जाते थे। आवेदक इतने समय तक परेशान रहता था और उसको समय पर सुविधा नहीं मिल पाता था। इसके साथ साथ पहले रजिस्ट्री करने के लिए पहले नगद राशि लेकर आना पड़ता था अब क्रेडिट डेबिट कार्ड, पीओएस मशीन, नेट बैंकिंग, यूपीआई के गूगलपे, फोनपे आदि माध्यम से मोबाइल में ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। यह सिस्टम की पारदर्शिता और सुविधा है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने विगत 3 मई को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ वासियों के लिए रजिस्ट्री में 10 नई सुविधा का शुभारंभ किया है, जिसमें आधार आधारित प्रमाणीकरण, ऑनलाईन सर्च व डाउनलोड सुविधा, भारमुक्त प्रमाण पत्र, एकीकृत कैशलेस भुगतान, वाट्सअप नोटिफिकेशन सेवा, डिजीलॉकर सुविधा, ऑटोडीडजनरेशन, डिजीडॉक सेवा, घर बैठे रजिस्ट्री, स्वतः नामांतरण शामिल है।

पंजीयन विभाग द्वारा 10 नये परिवर्तनों के विषय में विस्तार से बताया गया तथा 10 सुधारों का वीडियो प्रस्तुतिकरण किया गया।

1- आधार आधारित प्रमाणीकरण सुविधा - पंजीयन साफ्टवेयर को आधार लिंक किया गया है, पंजीयन के समय क्रेता-विक्रेता एवं गवाहों की पहचान आधार रिकार्ड के माध्यम से की जाएगी जिससे गलत व्यक्ति को खड़े कराकर पंजीयन नही हो सकेगा। आम जनता को फर्जीवाडे का शिकार नही होना पड़ेगा।

2- ऑनलाईन सर्च एवं डाउनलोड की सुविधा - आम आदमी वर्षों की जमा पूंजी लगाकर स्वयं का घर खरीदते है, इसलिए संपत्ती खरीदने से पहले पूरी जांच पड़ताल आवश्यक है। अभी रजिस्ट्री की जानकारी के लिए पंजीयन कार्यालय में स्वयं या वकील के माध्यम से उपस्थित होकर सर्च करना पड़ता है, ऑनलाईन सर्च का प्रावधान होने से खसरा नंबर डालते ही उस खसरे के पूर्व के समस्त लेनदेन की जानकारी एक क्लिक पर प्राप्त हो सकेगी।

3- भारमुक्त प्रमाण पत्र की सुविधा - भार मुक्त प्रमाण पत्र एक बहुत ही आवश्यक प्रमाणपत्र है जो संपत्ति खरीदने के पूर्व उसकी जानकारी उपलब्ध कराता है। यह प्रमाणपत्र अब आनलाइन ही प्रदाय किया जा सकेगा।

4- एकीकृत कैशलेस भुगतान की सुविधा- पहले रजिस्ट्री कराने के लिए स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क का अलग अलग जगह और समय पर भुगतान करना पड़ता था। अब स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क को एक साथ लिये जाने के लिए एकीकृत कैशलस सिस्टम तैयार किया गया है। स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क का एकसाथ सुविधानुसार क्रेडिट डेबिट कार्ड, पी०ओ एस मशीन, नेट बैंकिंग अथवा यू०पी०आई से फीस का भुगतान हो सकेगा।

5- व्हाट्सएप मैसेज सर्विसेज - व्हाट्सएप आज के समय में सर्वाधिक उपयोग हो रहा सोशल मीडिया प्लेटफार्म है। पंजीयन कराने वाले क्रेता-विक्रेता को अपाईन्टमेंट सहित पंजीयन होने तक सभी प्रकार के अपडेट एवं एलर्ट व्हाट्सएप में ही प्राप्त होंगे। रजिस्ट्री की प्रति भी व्हाट्सएप से ही डाउनलोड हो जायेगी। इस सुविधा के माध्यम से फीडबैक एवं शिकायतें भी व्हाट्सएप के माध्यम से की जा सकेंगी।

6- डिजीलॉकर की सुविधा - रजिस्ट्री दस्तावेजों को डिजिलॉकर में सुरक्षित स्टोर किया जाएगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पक्षकार को आसानी से डिजीटल प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध हो जाए।

7- आटो डीड जनरेशन की सुविधा - जनता की सुविधा के लिए रजिस्ट्री को पेपर लेस बनाया गया है। ऑनलाईन दस्तावेज प्रारूप का चयन कर पक्षकार और संपत्ति विवरण दर्ज करने पर स्वतः ही दस्तावेज तैयार हो जाएगा। वही दस्तावेज पेपरलेस होकर उप पंजीयक को ऑनलाइन प्रस्तुत होगा।

8- डिजीडॉक्यूमेंट की सुविधा - कुछ दस्तावेज जिसमें स्टाम्प लगाना आवश्यक है, परन्तु पंजीयन अनिवार्य नही है जैसे कि शपथ पत्र, अनुबंध पत्र।इनका प्रारूप ऑनलाईन डिजीडॉक्यूमेंट से तैयार कर स्टाम्प शुल्क भी डिजीटल रूप से चुकाया जा सकेगा। दस्तावेज तैयार करने और स्टाम्प के लिए अलग-अलग जगह जाने की आवश्यकता नहीं है।

9- घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा - जनता की सुविधा के लिए रजिस्ट्री को पेपरलेस किया गया है। दस्तावेज का प्रारूप चयन करने से ऑनलाईन दस्तावेज तैयार हो जाएगा स्टाम्प और पंजीयन फीस ऑनलाईन चुकाकर पक्षकार पंजीयन के लिए अपाइन्टमेंट लेकर घर बैठे ही आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पंजीयन करा सकेंगे। रजिस्ट्री पूर्ण होते ही दस्तावेज स्वतः ही ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगा।

10- स्वतः नामांतरण की सुविधा इत्यादि - अचल संपत्ति खरीदने के लिए पंजीयन कराया जाता है। उसके बाद उसे राजस्व रिकार्ड में अद्यतन कराना पड़ता हैं, नामांतरण की इस प्रक्रिया में महीने लग जाते थे, इस बीच वही संपत्ति अन्य को बेच दिये जाने पर पीड़ित पक्षकारों को न्याय के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ता है। अब पंजीयन के तुरंत बाद ही स्वतः नामांतरण होने से न केवल समय की बचत होगी बल्कि आम जनता को फर्जीवाडे का शिकार भी नही होना पड़ेगा।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियों की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंर्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU